

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या— 59/2022

CNR.No.UKCL-010002372022

हकमुद्दीन प्रति उत्तराखण्ड राज्य।

धारा— 420,120बी भा.द.स, 1860 व

व 66(D)आई.टी.एक्ट।

मुकदमा अपराध संख्या— 03/2022

थाना—बद्रीनाथ, जिला चमोली।

दिनांक 30.08.2022

जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हेम पुजारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सदर मुंसरिम/सत्र लिपिक की आख्या का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाय।

प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया जाय।

मामले से सम्बन्धित केश डायरी व अभियोजन प्रपत्र तलब किये जाय।

जमानत प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई के लिए दिनांक 06.09.2022 को पेश हो।

(नरेन्द्र दत्त)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चमोली।